[2019] 9 एस. सी. आर 754

रंजीत कुमार हलदर

वी.

सिकिम का राज्य

(2014 की आपराधिक अपील संख्या 427)

25 जुलाई, 2019

[एल. नागेश्वर राव और हेमंत गुप्ता, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860: s.302-हत्या-अभियोजन का मामला यह था कि पीड़ित-मृतक अपने परिवार के साथ आरोपी के साथ काम करने गया था-आरोपी ने अपने भतीजे और मृतक की पत्नी के साथ पीड़ित की हत्या कर दी और अपने शव को उस घर में दफना दिया जहां वे रहते थे-मृतक का शव उनके निवास स्थान पर लकड़ी के फर्श के नीचे छिपा दिया गया था और फर्श को हटाने के बाद मृतक की पत्नी द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान पर बरामद किया गया था-निचली अदालतों द्वारा अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराना अपील पर कहा गयाः इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा घर का ताला बंद करने के बाद पहली बार पुलिस ने घर का ताला खोला था।

घर और अपने पैतृक गांव गए घर उनके कब्जे में था और उस घर तक किसी की पहुंच नहीं थी और इसलिए, इस तथ्य को साबित करने का बोझ कि उनकी अनुपस्थिति के दौरान किसी की घर तक पहुंच थी, एस के मामले में उन पर था। 106 साक्ष्य अधिनियम-अपीलार्थी ने अभियोजन पक्ष के गवाहों को अपने द्वारा किराए पर दिए गए घर तक पहुँचने की संभावना का सुझाव भी नहीं दिया-पीडब्लू-5 की गवाही कि अपीलार्थी द्वारा घर किराए पर लिया गया था-अपीलार्थी एस के तहत धारणा को गलत साबित करने में बुरी तरह विफल रहा। 106 साक्ष्य अधिनियम-महिला अभियुक्त के संबंध में, की वसूली

उसके प्रकटीकरण बयान पर मिट्टी और पत्थरों से ढके लकड़ी के तख्तों के नीचे छुपाए गए शव को उसकी दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए उसके खिलाफ बहुत मजबूत आपत्तिजनक परिस्थिति थी-इसके अलावा

कि, पीडब्लू का एक बयान था-2 जिसके सामने उसने कबूल किया था-पीडब्लू-4, पीडब्लू के पति-2 ने इस गवाही का समर्थन किया-साथ ही मृत शरीर की पहचान पीडब्लू-3 द्वारा पहने हुए कपड़ों से की गई थी। मृतक जैसे स्वेटर और माला-किसी भी गवाह से इस तरह से जिरह नहीं की गई कि शव मृतक का नहीं था-नीचे दी गई दोनों अदालतों ने अपीलकर्ताओं को मृतक की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के रूप में सही तरीके से दोषी ठहराया

साक्ष्य अधिनियम, 1872। 106 .

754 रंजीत कुमार हलदर बनाम। सिकिम का राज्य

साक्ष्य अधिनियम, 1872: s.106-सबूत का बोझ - s.106 प्रमाण के बोझ के बारे में सामान्य नियम देता है-यह खंड था उनके कर्तव्य के अभियोजन को राहत देने के लिए पेश नहीं किया गया था लेकिन था

उस स्थिति से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसमें अभियोजन पक्ष के लिए उन तथ्यों को स्थापित करना असंभव या कठिन है जो विशेष रूप से अभियुक्त की जानकारी में थे-दंड संहिता, 1860 - s.302।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में सूचना देने वाले द्वारा दिए गए संस्करण की जांच-इसलिए, अनुवादक की गैर-जांच अभियोजन पक्ष के मामले-दंड संहिता, 1860 पर कोई संदेह पैदा नहीं करेगा। 302 .

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1.1 सबूत का बोझ। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को उनके कर्तव्य के अभियोजन से राहत देने के लिए पेश नहीं किया गया था लेकिन यह उस स्थिति से निपटने के लिए बनाया गया है जिसमें अभियोजन पक्ष के लिए उन तथ्यों को स्थापित करना असंभव या कठिन होगा जो विशेष रूप से अभियुक्त की जानकारी में हैं। [पैरा 14] [761-बी-सी]

1.2 मिट्टी और पत्थरों से ढके लकड़ी के तख्तों के नीचे छुपाए गए एक बोरे में शव बरामद किया गया था। ताला।

अपीलार्थी द्वारा घर को बंद करने और अपने पैतृक गाँव जाने के बाद पहली बार पुलिस द्वारा घर खोला गया था।

इसलिए, इन पहलुओं पर किसी भी प्रश्न के अभाव में कि घर उनके कब्जे में था और उस घर तक किसी की पहुंच नहीं थी, इस तथ्य को साबित करने का बोझ अधिनियम की धारा 106 के संदर्भ में उन पर था कि उनकी अनुपस्थिति के दौरान किसी की घर तक पहुंच थी। पीडब्लू-5 की गवाही कि अपीलार्थी द्वारा घर किराए पर लिया गया था, साबित हो गई और पीडब्लू-3 के बयान के आधार पर, जो एक बढ़ई है और उसी क्षेत्र में रह रहा था, अपीलार्थी अधिनियम की धारा 106 के तहत धारणा को गलत साबित करने में बुरी तरह विफल रहा। [पैरा 21] [767-बी-ई]

2. महिला अभियुक्त के संबंध में, उसके [2019] 9 एस. सी. आर. के आधार पर एक घर में छुपाए गए शव की बरामदगी का सबूत है।

प्रकटीकरण बयान, जहाँ वह कथित रूप से मृतक और उसके दो बच्चों के साथ दूसरे अपीलार्थी के साथ रह रही थी। मिट्टी और पत्थरों से ढके लकड़ी के तख्तों के नीचे छुपाए गए शव की बरामदगी बहुत गंभीर है उसकी दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए उसके खिलाफ परिस्थिति। इस तरह की आपत्तिजनक परिस्थितियों के अलावा, पीडब्लू-2 का एक बयान है जिसके सामने उसने कबूल किया है। [पैरा 22] [767-ई-जी]

3. यह तर्क कि बंगाली संस्करण का नेपाली में अनुवाद करने वाले व्यक्ति की जाँच तब नहीं की गई थी जब प्रथम सूचना दर्ज की गई रिपोर्ट पूरी तरह से अप्रासंगिक है। इस तरह का पहला

सूचना रिपोर्ट केवल मृत्यु की जानकारी के संबंध में थी। जाँच अधिकारी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में सूचना देने वाले द्वारा दिए गए संस्करण की जाँच की। इसलिए, अनुवादक की गैर-परीक्षा से कोई सृजन नहीं होगा।

अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह। [पैरा 23] [767-जी-एच; 768-ए]

4. यह तर्क कि शव की पहचान करने के लिए कोई डीएनए परीक्षण नहीं किया गया था, मान्य नहीं है। मृतक की पत्नी के बयान पर शव बरामद किया गया, जिसने खुलासा बयान में कहा कि उसके पति का शव उसके कब्जे वाले कमरे में लकड़ी के तख्तों के नीचे छिपा हुआ है। उक्त बयान के अलावा, पीडब्लू-3 ने मृतक के पहने हुए कपड़ों जैसे स्वेटर और एक कपड़े से शव की पहचान की।

माला। अतः जो तर्क दिया गया है वह मान्य नहीं है। [पैरा 24] [768-बी-सी]

शंभू नाथ मेहरा बनाम। अजमेर राज्य ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 404 [1956] एस. सी. आर. 199; त्रिमुख मारौती किरकान बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2006) 10 एससीसी 681: [2006] 7 पूरक। एससीआर 156; निका राम बनाम। हिमाचल प्रदेश राज्य (1972) 2 एससीसी 80: [1973] 1 एस. सी. आर. 428; राजस्थान राज्य बनाम ठाकुर सिंह (2014) 12 एससीसी 211: [2014] 8 एस. सी. आर. 18; ज्ञानेश्वर बनाम। महाराष्ट्र राज्य

(2007) 10 एस. सी. सी. 445 [2007] 4 एस. सी. आर. 248; राम गुलाब चौधरी और अन्य। वी. बिहार राज्य (2001) 8 एससीसी

311 [2001] 3 पूरक। एस. सी. आर. 279-पर निर्भर।

सुदाम चरण दास बनाम। उड़ीसा और अन्न राज्य। (2014) 2

एस. सी. सी. 141 [2013] 10 एस. सी. आर. 284-संदर्भित।

रंजीत कुमार हलदर बनाम। सिकिम का राज्य

मामला कानून संदर्भ

[2013] 10 एससीआर 284

पै

रा 5

संदर्भित किया गया है

[1956] एससीआर 199

उस पर भरोसा करें

पै

रा 15

[2006] 7 पूरक। एससीआर 156

उस पर भरोसा करें

पै

रा 16

[1973] 1 एससीआर 428

उस पर भरोसा करें

पै

रा 17

[2014] 8 एससीआर 18

उस पर भरोसा करें

पै

रा 18

[2007] 4 एससीआर 248

उस पर भरोसा करें

पै

रा 19

[2001] 3 पूरक। एससीआर 279

उस पर भरोसा करें

पै

रा 20

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2014 का सं. 427।

उच्च न्यायालय के 25.11.2011 दिनांकित निर्णय और आदेश से

सी. आर. एल. में गंगटोक में सिक्किम का। 2010 का ए. सं. 8।

के साथ

सीआरएल। 2015 का ए. सं. 458।

सुश्री अपर्णा झा, सुश्री कृति सोंधी, अरविंद शर्मा, एफ. आई. चौधरी

और रामेश्वर प्रसाद गोयल, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

राघवेंद्र कुमार और एम/एस। अर्पुथम अरुणा एंड कंपनी, एड.

उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हेमंत गुप्ता, जे।

1. वर्तमान अपीलें दिनांकित सामान्य निर्णय से उत्पन्न होती हैं।

25 नवंबर, 2011, नेताई मोहंता की मौत के लिए अपीलार्थियों पर दोषसिद्धि और सजा बनाए रखना।

2. उनके भाई भोला मोहंता (पीडब्लू-1) ने एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

28 दिसंबर, 2004 को निधन हो गया। मूल एफ़. आई. आर. बंगाली भाषा में दर्ज की गई थी। 1), जिसका बाद में नेपाली भाषा में अनुवाद किया गया। भोला मोहंता (पीडब्लू-1) ने अपने बयान में कहा है कि उसका भाई आरोपी रंजीत हलदर के साथ बढ़ई का काम करने के लिए अपने परिवार के साथ लाचुंग में रबोम पावर हाउस गया था। उन्होंने आगे कहा कि उनके मृत भाई, नेताई मोहंता की हत्या आरोपी रंजीत हल्दर ने अपने भतीजे पूरन बंधु मंडल और [2019] 9 एस. सी. आर. की पत्नी ममता मोहंता के साथ की थी।

मृतक। उन्होंने यह भी कहा कि उनके मृत भाई के शव को रबोम में उस घर के अंदर दफनाया गया था जहां वे रहते थे। 3. उनके बयान के आधार पर, रिंजिंग पाल्जोर भूटिया (पीडब्लू-15) द्वारा जांच की गई थी। उन्होंने अपदस्थ किया कि उन्होंने लाभ उठाया

भोला मोहंता द्वारा दर्ज कराई गई एफ. आई. आर. की सामग्री का बंगाली भाषा से नेपाली में अनुवाद करने के लिए कृष्ण कांत बर्मन की सेवाएँ

18721. बयान के आधार पर, मृतक नेताई मोहंता का मृत शरीर निवास स्थान पर लकड़ी के फर्श के नीचे छुपा कर फर्श को हटाने के बाद बरामद किया गया था। एस. टी. एन. एम. अस्पताल के चिकित्सा सलाहकार डॉ. एस. डी. शर्मा (पीडब्लू-12) भी शव के बरामद होने के समय मौजूद थे। शव एक बोरे में पैक किया हुआ पाया गया था जिसका उद्घाटन रस्सी से बंधा हुआ था। शरीर सड़ नहीं गया है लेकिन कुछ हद तक सूख गया है क्योंकि रबोम में मौसम की स्थिति ठंडी है। शव की पहचान रवि देब (पीडब्लू-3) ने की थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट एक्सएच है। 27. जांच अधिकारी ने लिया एक विमान (रांडा), एक स्थानीय निर्मित 'अंगेठी', एक 'बटाली' (बढ़ई का औजार) और एक ताला अपने पास रखें। उसने घटना स्थल से मिट्टी से सने दो बोरे, अलग-अलग आकार की रस्सी के दो टुकड़े भी अपने कब्जे में ले लिए।

4. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया है

कि मूल एफ़. आई. आर. बंगाली में दर्ज की गई थी जिसका नेपाली में अनुवाद किया गया था, लेकिन अभियोजन पक्ष ने कृष्ण कांत बर्मन से पूछताछ नहीं की है जिन्होंने एफ़. आई. आर. का बंगाली से नेपाली में अनुवाद करने में मदद की थी। अभियोजन पक्ष ने कुमार तमांग (पीडब्लू-14) से पूछताछ की है, जिन्होंने कृष्ण कांत बर्मन द्वारा बताई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी है। फिर भी, एफ. आई. आर. मजिस्ट्रेट को नहीं भेजी गई थी, इसलिए, एफ. आई. आर. में पहला संस्करण विश्वसनीय नहीं है। चूँकि नींव अपने आप में अस्थिर है, इसलिए अभियोजन की पूरी कहानी संदिग्ध है।

5. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने निर्णय पर भरोसा किया

सुदाम चरण दास बनाम। उड़ीसा राज्य और Anr.[2] का तर्क है कि

1 1 संक्षेप में, 'अधिनियम'

मजिस्ट्रेट के लिए जानकारी जांच में घटनाओं की आवश्यक श्रृंखला है। यह भी तर्क दिया जाता है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मृतक

बरामद शव मृतक नेताई मोहंता का है क्योंकि कोई डीएनए जांच नहीं की गई थी। मृत शरीर की पहचान के संबंध में गवाहों के बयान विरोधाभासी हैं, इसलिए अभियोजन पक्ष को अपीलार्थियों को दोषी ठहराने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

6. अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा यह भी तर्क दिया जाता है कि अपीलार्थी वसूली के समय घर में नहीं रह रहे थे।

इसलिए, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि शव की बरामदगी के समय घर अपीलार्थियों के कब्जे में था। 7. अभियोजन पक्ष ने जम्यांग भूटिया (पीडब्लू-5) से पूछताछ की, जिसने बयान दिया कि उसने अपने घर में दो कमरे रंजीत हलदर को किराए पर दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने उन्हें अपने दूसरे घर के निर्माण कार्य में लगाया है। उन्होंने उस एक लड़के को अपदस्थ कर दिया जो शुरू में था

अभियुक्त के साथ रहने वाले लोग वहाँ से चले गए। बाद में, एक और बढ़ई अपनी पत्नी और दो छोटे बच्चों के साथ उसी दो कमरों में एक साथ रहने लगा। एक महीने से भी कम समय तक उसके घर में रहने के बाद, वे सभी दरवाजा बंद करके घर से निकल गए। उन्होंने उन्हें घर से बाहर निकलते नहीं देखा है। एक महीने बाद पुलिस यह पता लगाने आई कि क्या उसके घर में कोई बढ़ई रह रहा था। उसने वह घर दिखाया जहाँ बढ़ई रहता था। इसके बाद महिला के साथ पुलिस

उसके पति का शव छिपा दिया गया था। पुलिस ने फर्श से लकड़ी के तख्तों को हटा दिया और शव को एक बोरे में पैक किया हुआ पाया। शव सड़ चुकी हालत में था और वहां से बदबू आ रही थी। वहां मौजूद एक डॉक्टर ने शव की जांच की। गवाह ने गवाही दी कि वह उस घर में नहीं रहता है जहाँ से शव बरामद किया गया था। वह अपने परिवार के साथ एक अलग घर में रहता है। अभियुक्त उक्त घर में एक महीने से भी कम समय तक रहा। महिला आरोपी बाद में शामिल हो गई। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस के आने तक घर का दरवाजा बंद और चाबी के नीचे था।

8. रवि देब (पीडब्लू-3) भी एक बढ़ई हैं। वह दोनों अभियुक्तों को जानता था। उन्हें निताई मोहंता की मृत्यु की सूचना दी गई और

पुलिस को बुलाया। पुलिस ने उनकी उपस्थिति में घर के एक हिस्से के दरवाजे का ताला तोड़ दिया। अपीलार्थी ममता मोहंता [2019] 9 एस. सी. आर. थीं।

उसने पूछा कि उसके पति का शव कहाँ है। जब उसने एक बिस्तर के नीचे एक जगह की ओर इशारा किया जहां मृतक का शव छिपा हुआ था, तो पुलिस ने वहां मौजूद लोगों की मदद से लकड़ी के तख्तों को हटा दिया। लकड़ी के तख्तों के नीचे पत्थर और मिट्टी थी। पत्थरों और मिट्टी को हटाने के बाद, एक शव छिपा हुआ मिला एक पटसन के बोरे में लपेटा गया था जिसका उद्घाटन एक तार से बंधा हुआ था। इसके बाद शव को बाहर निकाला गया। उन्होंने मृतक की पहचान उसके पहने हुए कपड़ों से की, विशेष रूप से उसके गले में एक स्वेटर और एक माला (तुलसी) जो वह पहनता था और चेहरे की उपस्थिति से भी।

9. डोमा लेप्चा (पीडब्लू-2) कज़ोर प्रखंड पंचायत के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने अपदस्थ कर दिया कि भोला मोहंता (पीडब्लू-1) ने अपने मृत भाई नेताई मोहंता के लापता होने के संबंध में अपनी ग्राम पंचायत में एक लिखित रिपोर्ट दायर की है। अपीलार्थी ममता मोहंता को लाया गया था भोला मोहंता (पीडब्लू-1)। ममता मोहंता ने खुलासा किया कि उनके पति की रंजीत हलदर ने 'रंडा' से हत्या कर दी है और शव को उसी किराए के घर में छिपा दिया गया है जिसमें वे आखिरी बार उत्तरी सिक्किम में रह रहे थे। उसने यह भी खुलासा किया कि घटना के दौरान रंजीत हलदर और उसके भतीजे पूरन ने उसके पति की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी थी

बंधु मंडल और उन्होंने उनकी मदद की थी। डोमा लेप्चा (पीडब्लू-2) ममता मोहंता के अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति का गवाह है। क्रॉस में

जाँच में, डोमा लेप्चा (पीडब्लू-2) ने अपदस्थ किया कि वह मृतक नेताई मोहंता को जानती थी क्योंकि वह उसके घर के पास रह रहा था।

10. फुरबा लेप्चा (पीडब्लू-4) कज़ोर बस्टी, मंगन की निवासी है और ममता मोहंता द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान की गवाह है।

सड़न का चरण। उन्होंने उस समय को अपदस्थ कर दिया क्योंकि मृत्यु दो सप्ताह से अधिक की थी और मृत्यु का कारण ब्लंट फोर्स और लिगेचर द्वारा एंटीमॉर्टम गला घोंटने से उत्पन्न एंटीमॉर्टम सिर की चोट का संयुक्त प्रभाव था। मेडिकल लीगल ऑटोप्सी रिपोर्ट एक्सएच है। 25. पोस्टमॉर्टम उस स्थान पर किया गया जहां शव बरामद किया गया था। 12. भोला मोहंता (पीडब्लू-1) मृतक नेताई मोहंता का भाई है और वह सूचना देने वाला है जिसकी जानकारी पर अभियोजन पक्ष था।

गति में सेट करें। उन्होंने कहा कि वह अंग्रेजी, हिंदी या नेपाली नहीं जानते हैं।

और केवल बंगाली जानता है। उन्होंने अपदस्थ कर दिया कि वह रंजीत हलदर से पहले कभी नहीं मिले थे।

रंजीत कुमार हलदर बनाम। स्टेट ऑफ सिकिम [हेमंत गुप्ता, जे.]

13. इससे पहले कि हम पक्षों के लिए विद्वान वकील की संबंधित दलीलों की जांच करें, अधिनियम की धारा 106 को निकालना उचित होगा, जो निम्नानुसार हैः

" 106. तथ्य को साबित करने का बोझ, विशेष रूप से ज्ञान के भीतर।

- जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में हो,

उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है। ”

14. सामान्य नियम यह है कि सबूत का भार अभियोजन पक्ष पर है।

अधिनियम की धारा 106 को अभियोजन को उनके कर्तव्य से मुक्त करने के लिए पेश नहीं किया गया था, लेकिन इसे उस स्थिति से निपटने के लिए बनाया गया है जिसमें अभियोजन पक्ष के लिए उन तथ्यों को स्थापित करना असंभव या कठिन होगा जो विशेष रूप से अभियुक्त की जानकारी में हैं।

15. शंभू नाथ मेहरा बनाम। अजमेर राज्य 3, न्यायालय ने फैसला सुनाया

निम्नानुसारः

" 8. ..... धारा 106 धारा 101 का अपवाद है। धारा 101 में कहा गया है

प्रमाण के बोझ के बारे में सामान्य नियम।

" जो कोई भी चाहता है कि कोई भी अदालत उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर किसी भी कानूनी अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो वह

दावा करता है, यह साबित करना चाहिए कि वे तथ्य मौजूद हैं।

चित्रण (ए) कहता है -
" ए चाहता है कि अदालत यह निर्णय दे कि बी को उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जो ए कहता है कि बी ने किया है।

9. यह सामान्य नियम निर्धारित करता है कि किसी आपराधिक मामले में सबूत का भार अभियोजन पक्ष पर होता है और धारा 106 का उद्देश्य निश्चित रूप से उसे उस कर्तव्य से मुक्त करना नहीं है। इसके विपरीत, यह डिज़ाइन किया गया है
कुछ अपवादात्मक मामलों को पूरा करने के लिए जिनमें अभियोजन पक्ष के लिए ऐसे तथ्यों को स्थापित करना असंभव होगा, या किसी भी तरह से असमान रूप से कठिन होगा जो अभियुक्त की जानकारी में "विशेष रूप से" हैं और जिन्हें वह बिना किसी कठिनाई के साबित कर सकता है या

असुविधा। "विशेष रूप से" शब्द इस पर जोर देता है। इसका अर्थ है ऐसे तथ्य जो उनके ज्ञान में पहले से ही विशिष्ट या असाधारण रूप से हैं। यदि धारा की व्याख्या अन्यथा की जाती है, तो यह बहुत ही चौंका देने वाला निष्कर्ष होगा कि हत्या के मामले में बोझ पड़ता है।

अभियुक्त पर यह साबित करने के लिए कि उसने हत्या नहीं की क्योंकि

3 आकाशवाणी 1956 एससी 404 [2019] 9 एस. सी. आर.

उनसे बेहतर कौन जान सकता था कि उन्होंने किया या नहीं। यह है।

यह स्पष्ट है कि यह इरादा नहीं हो सकता है और प्रिवी काउंसिल ने

दो बार इस खंड का अर्थ लगाने से इनकार कर दिया, जैसा कि कुछ में पुनः प्रस्तुत किया गया है

भारत के बाहर अन्य अधिनियम, जिसका अर्थ है कि बोझ एक अभियुक्त पर है

व्यक्ति यह दिखाने के लिए कि उसने वह अपराध नहीं किया है जिसके लिए वह है

कोशिश की। ये मामले एट्टीगाले बनाम हैं। सम्राट [ए. आई. आर 1936 पी. सी. 169]

और सेनेविरत्नेव। आर. [(1936) 3 सभी ईआर 36,49]।

XX

XX

XX

11. हम मानते हैं कि एक चित्रण पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है।

खंड की सामग्री जिसे यह दर्शाता है लेकिन समान रूप से यह न तो कर सकता है

इसके दायरे को कम करें और न ही इसका विस्तार करें; और यदि कुछ तथ्यों का ज्ञान है

अभियोजन पक्ष के लिए जितना उपलब्ध है, क्या उसे प्रयोग करना चाहिए

अभियुक्त के बारे में उचित परिश्रम, तथ्यों को ऐसा नहीं कहा जा सकता है

" विशेष रूप से "अभियुक्त की जानकारी के भीतर। यह एक खंड है

सुविधा और श्रम का अनुपात जो होगा खिलाफ संतुलित कुछ तथ्यों का पता लगाने और साबित करने में शामिल

दांव पर लगे मुद्दे की तुच्छता और आसानी जिसके साथ

अभियुक्त उन्हें साबित कर सकते हैं, ऐसे सभी मामले हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए

विचार करें। इस खंड का उपयोग कुएं को कमजोर करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

कानून का शासन स्थापित किया, जो एक बहुत ही असाधारण वर्ग को छोड़कर मामला, बोझ अभियोजन पक्ष पर है और कभी नहीं बदलता है। ”

16. एक अन्य निर्णय में त्रिमुख मारौती किरकान बनाम के रूप में बताया गया है।

महाराष्ट्र के, न्यायालय ने एक ऐसी स्थिति पर विचार किया जिसमें अभियुक्त

उसने अपनी पत्नी की हत्या की है। अभियोजन पक्ष ने यह दिखाने के लिए प्रमुख सबूतों को स्वीकार किया कि इससे कुछ समय पहलेअपराध का उद्देश्य, उन्हें एक साथ देखा गया था या अपराध लेता है

उस आवास में जहाँ अपीलार्थी आम तौर पर रहता था। द.

टी निम्नानुसार आयोजित किया गयाः

" 22. जहाँ एक अभियुक्त पर हत्या करने का आरोप लगाया जाता है

उसकी पत्नी और अभियोजन पक्ष प्रमुख साक्ष्य देने में सफल हो जाता है दिखाएँ कि अपराध करने से कुछ समय पहले उन्हें देखा गया था

एक साथ या अपराध निवास घर में होता है जहाँ

पति भी आम तौर पर रहता था, यह लगातार आयोजित किया गया है

कि यदि अभियुक्त कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है तो पत्नी कैसे

चोटें लगीं या एक स्पष्टीकरण देता है जो पाया जाता है

5) 10 एस. सी. सी. 681 रंजीत कुमार हलदर बनाम। स्टेट ऑफ सिक्किम [हेमंत गुप्ता, जे.]

गलत है, यह एक मजबूत परिस्थिति है जो इंगित करती है कि वह अपराध करने के लिए जिम्मेदार है। निका राम बनाम। एच. पी. राज्य [(1972) 2 एस. सी. सी. 80 1972 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 635: ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 2077] यह देखा गया कि यह तथ्य कि अकेले आरोपी अपनी पत्नी के साथ घर में था जब उसकी हत्या की गई थी।

" खुखरी "और यह तथ्य कि उसके साथ आरोपी के संबंध तनावपूर्ण थे, उसके द्वारा किसी भी ठोस स्पष्टीकरण के अभाव में, उसके अपराध की ओर इशारा करता है। गणेशलाल बनाम। की स्थिति

किसी भी स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति के साथ अभियुक्त की बेगुनाही के साथ असंगत माना गया था, लेकिन इस परिकल्पना के अनुरूप था कि अपीलार्थी अपनी पत्नी की हत्या के अपराध में एक प्रमुख अभियुक्त है। यू. पी. राज्य बनाम डॉ. रवींद्र प्रकाश मित्तल [(1992) 3 एस. सी. सी. 300: 1992 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 642: ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 2045] चिकित्सा साक्ष्य से पता चला कि पत्नी की मौत देर रात या सुबह-सुबह गला घोंटने से हुई और मिट्टी का तेल छिड़ककर उसके शरीर में आग लगा दी गई। पति का बचाव यह था कि पत्नी ने खुद को जलाकर आत्महत्या कर ली थी और वह उस समय घर पर नहीं था। पत्नी द्वारा अपने रिश्तेदारों को लिखे गए पत्रों से पता चलता है कि पति उसके साथ बुरा व्यवहार करता था और उनके संबंधों में तनाव था और सबूतों से पता चलता है कि वे दोनों रात में एक कमरे में थे। यह माना गया कि परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी हो गई थी और यह पति था जिसने अपनी पत्नी की हत्या की थी। गला घोंटना और तदनुसार इस न्यायालय ने आरोपी को बरी करने के उच्च न्यायालय के फैसले को उलट दिया और उसे आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत दोषी ठहराया। राज्य में टी. एन. वी. राजेन्द्रन [(1999) 8 एससीसी 679: 2000 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 40] पत्नी एक झोपड़ी में मृत पाई गई थी जिसमें आग लग गई थी। सबूतों से पता चला कि आरोपी और उसकी पत्नी को रात करीब 9 बजे झोपड़ी में एक साथ देखा गया था और जब झोपड़ी में आग लगी थी तो आरोपी सुबह छत से बाहर आया था। उनका स्पष्टीकरण था कि यह दुर्घटनावश आग लगने का मामला था जिसके परिणामस्वरूप उनकी पत्नी और एक बेटी की मौत हो गई। चिकित्सा साक्ष्य से पता चला कि पत्नी की मृत्यु [2019] 9 एस. सी. आर. के रूप में दम घुटने के कारण हुई थी।

गला घोंटने का परिणाम और जलने की चोटों के कारण नहीं। यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस निष्कर्ष पर पहुँचने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो सकती कि यह अभियुक्त (पति) था जो अपराध का अपराधी था।

अपराध "।

17. एक अन्य निर्णय में निका राम बनाम के रूप में बताया गया है। अचल प्रदेश राज्य ', यह माना गया था कि किसी भी ठोस की अनुपस्थिति

अभियुक्त द्वारा राष्ट्र इंगित करेगा कि अभियुक्त अपराध की चूक के लिए जिम्मेदार है। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 16. यह गिरजू पीडब्लू के साक्ष्य में है कि केवल आरोपी और चुरी मृतक आरोपी के घर में रहते थे। मणि राम (पीडब्लू 8), जो आरोपी के चाचा हैं, और भगत राम स्कूल के शिक्षक (पीडब्लू 16) के बयान भी इसी तरह के हैं। भगत राम के अनुसार, उन्होंने घटना के दिन आरोपी और मृतक को उनके घर पर एक साथ देखा था। मणि राम (पीडब्लू 8) ने आरोपी को दोपहर 3 बजे अपने घर पर देखा, जबकि पोशु राम (पीडब्लू 7) ने घटना के दिन शाम को आरोपी और मृतक को उनके घर पर देखा। आरोपी इस बात से भी इनकार नहीं करता है कि वह घटना के दिन मृतक के साथ उसके घर पर था। प्लान पीएम के अनुसार आरोपी के घर में एक आवासीय कमरा, एक अन्य छोटा कमरा और एक बरामदा होता है। उस योजना की शुद्धता ए. आर. वर्मा पर्यवेक्षक (पीडब्लू 5) द्वारा साबित की गई है। यह तथ्य कि आरोपी अकेला चूड़ी मृतक के साथ घर में था जब उसकी खोखरी के साथ हत्या कर दी गई थी और यह तथ्य कि मृतक के साथ आरोपी के संबंध तनावपूर्ण थे, जैसा कि आगे दिखाया जाएगा, उसके द्वारा किसी भी ठोस स्पष्टीकरण के अभाव में, उसके अपराध की ओर इशारा करता है।

18. राजस्थान राज्य में v. ठाकुर सिंह ', इस अदालत ने दोहराया

सिद्धांत यह है कि अभियुक्त के अपराध को साबित करने का भार उस पर है लेकिन किसी अपराध से संबंधित कुछ तथ्य हो सकते हैं जो

केवल अभियुक्त के लिए। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

“ 22. इसलिए, कानून काफी अच्छी तरह से तय है कि किसी अभियुक्त के अपराध को साबित करने का बोझ अभियोजन पक्ष पर है, लेकिन किसी अपराध से संबंधित कुछ तथ्य हो सकते हैं जो केवल अभियुक्त को ही पता हो सकते हैं, या अभियोजन पक्ष के लिए साबित करना लगभग असंभव है। अभियुक्त द्वारा इन तथ्यों को समझाने की आवश्यकता है और यदि वह

ऐसा नहीं करता है, तो यह उन तथ्यों के आधार पर उसके अपराध की ओर इशारा करने वाली एक मजबूत परिस्थिति है।

19. ज्ञानेश्वर बनाम। महाराष्ट्र राज्य ', इस न्यायालय ने फैसला सुनाया

देरः

" 10. यह हमारे सामने विवादित नहीं है कि मृतक था उसके वैवाहिक घर में हत्या कर दी गई। यह अपीलार्थी का मामला नहीं है कि अपराध किसी और द्वारा किया गया था। यह भी उनका मामला नहीं है कि उक्त अपराध को करने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति की संभावना थी। प्रासंगिक परिस्थितियों में से एक यह है कि

तामारकर बनाम। बिहार राज्य [(2007) 10 एससीसी 433: (2007) 3 एससीसी (क्रि) 716: (2007) 1 स्केल 19] इस न्यायालय ने निर्णय दियाः (एस. सी. सी पी. 440 , पैरा

22-23)

" 22. जिन घटनाओं पर ध्यान दिया गया था, उनका अवलोकन

विद्वान सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय द्वारा भी

स्पष्ट रूप से यह दिखाने के लिए जाता है कि उस समय जब घटना

घटित हुआ, मृतक और प्रतिवादी केवल उसी को जोड़ने वाले शयनकक्ष और छत में थे। वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। मृतक उषा देवी की मृत्यु का कारण

यानी बंदूक की गोली से लगी चोट विवादित नहीं है। यह तथ्य कि छत और शयनकक्ष एक-दूसरे से सटे हुए हैं, विवाद में नहीं है।

23. शव परीक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि जहां तक चोट (i) का संबंध है, 'ब्लैकनिंग और चाररिंग' मौजूद था। आग्नेयास्त्र की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए काला रंग और चाररिंग, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका उपयोग स्पष्ट रूप से यह दिखाने के लिए किया गया है कि एक गोली थोड़ी दूरी से चलाई गई थी। जब लगभग 2 फीट से 3 फीट की दूरी से गोली चलाई जाती है तो ब्लैकनिंग या चैरिंग संभव है। इसलिए यह ऐसा मामला नहीं हो सकता है जिसमें मृतक पर गोली चलाने से किसी की मौत हुई हो।

6 फीट से अधिक की दूरी। चोट का स्थान भी है

महत्वपूर्ण है। ग्लेबेला के ऊपर घाव पाया गया था

(माथे के बीच में)। यह दिखाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करता है कि ऐसा ही एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया होगा जो मारना चाहता था

कुछ दूरी से मृत। इस प्रकार, एक दूरस्थ था

किसी अन्य द्वारा इस प्रकार की चोट लगने की संभावना

व्यक्ति, जो छत पर नहीं था। एक बार अभियोजन पक्ष यह दिखाने में सक्षम हो गया है कि प्रासंगिक समय पर, कमरा और छत दंपति के विशेष कब्जे में थे, सबूत का बोझ

प्रत्यर्थी को यह दिखाने के लिए कहें कि किन परिस्थितियों में

उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। जिम्मेदारी उस पर थी। वह असफल रहा।

उसी का निर्वहन करने के लिए "।

20. राम गुलाब चौधरी और अन्य में। वी. बिहार राज्य, यह

टी निम्नानुसार आयोजित किया गयाः

" 24 .

अन्यथा भी, हमारे विचार में, यह एक ऐसा मामला है जहाँ धारा

106 साक्ष्य अधिनियम लागू होगा। कृष्णानंद चौधरी

बेरहमी से हमला किया गया और फिर एक चूरा-प्रहार किया गया

छाती। इस प्रकार बिजॉय चौधरी के आने के बाद चूरा-प्रहार किया गया।

उन्होंने कहा, "वह अभी भी जीवित है और उसे मार दिया जाना चाहिए।" तब अपीलार्थी

शरीर को ले गए। इसके बाद कृष्णानंद का क्या हुआ? चौधरी विशेष रूप से अपीलार्थियों की जानकारी में हैं।

अपीलकर्ताओं ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि उन्होंने क्या किया

जिसके बाद वे शव को ले गए। कृष्णानंद चौधरी ने नहीं किया है

तब से जीवित देखा जा रहा है। स्पष्टीकरण के अभाव में, और

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अपीलार्थी लड़के पर संदेह कर रहे थे

परिवार के बच्चे का अपहरण और हत्या करने के लिए

अपीलार्थियों, यह अपीलार्थियों को समझाना था कि वे क्या करते हैं उन्होंने उसे ले जाने के बाद उसके साथ किया। जब अपहरणकर्ताओं ने रोक लिया

कि अदालत से जानकारी, के लिए हर औचित्य है यह अनुमान लगाते हुए कि उन्होंने लड़के की हत्या की थी। भले ही

साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का उद्देश्य राहत देना नहीं हो सकता है।

अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए अपने बोझ का अभियोजन

उचित संदेह से परे, लेकिन यह धारा मामलों पर लागू होगी

वर्तमान की तरह, जहाँ अभियोजन पक्ष साबित करने में सफल रहा है

जिन तथ्यों से उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है

मृत्यु। अपीलार्थी को अपने विशेष ज्ञान के आधार पर

एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें जो न्यायालय को एक अलग निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित कर सकता है अनुमान। इसलिए, हम इस समर्पण में कोई सार नहीं देखते हैं

श्री मिश्रा "।

21. इस पृष्ठभूमि के साथ, विद्वान वकील का तर्क

संकेत यह है कि शव की बरामदगी ममता के कहने पर हुई थी

अपीलार्थी द्वारा दिया गया बयान-रंजीत हलदर। इसलिए, मृतक की पत्नी के बयान पर मृत शरीर की बरामदगी का उपयोग अपीलार्थी के खिलाफ नहीं किया जा सकता है। हम उक्त तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। अभियोजन पक्ष के गवाहों जैसे जामयांग का लगातार बयान रवि देब (पीडब्लू-3) द्वारा भूटिया (पीडब्लू-5) की पुष्टि की गई है कि रबोम में घर अपीलार्थी-रंजीत हलदर द्वारा किराए पर लिया गया था। मृतक।

मिट्टी और पत्थरों से ढके लकड़ी के तख्तों के नीचे छुपाए गए एक बोरे में शव बरामद किया गया था। गवाहों से की गई जिरह से यह संकेत नहीं मिलता है कि रंजीत हलदर द्वारा परिसर को किराए पर देना किसी भी तरह से विवादित है। इस बात में कोई विवाद नहीं है कि रंजीत हलदर के घर में ताला लगाकर अपने पैतृक गांव जाने के बाद पहली बार पुलिस ने घर का ताला खोला था। इसलिए, इन पहलुओं पर किसी भी प्रश्न के अभाव में कि घर उनके कब्जे में था और उस घर तक किसी की पहुंच नहीं थी, इस तथ्य को साबित करने का बोझ कि उनकी अनुपस्थिति के दौरान किसी की घर तक पहुंच थी, अधिनियम की धारा 106 के संदर्भ में उन पर था। अपीलार्थी रंजीत हलदर ने अभियोजन पक्ष के गवाहों को अपने द्वारा किराए पर लिए गए घर तक पहुँचने की संभावना का सुझाव भी नहीं दिया है। जम्यांग भूटिया (पीडब्लू-5) की गवाही कि रंजीत हलदर द्वारा घर किराए पर लिया गया था, साबित होती है और रवि देब (पीडब्लू-3) के बयान के आधार पर, जो एक बढ़ई है और उसी क्षेत्र में रह रहा था, अपीलार्थी रंजीत हलदर अधिनियम की धारा 106 के तहत धारणा को गलत साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है।

22. अपीलार्थी ममता मोहंता के संबंध में, उनके आधार पर एक घर में छुपाए गए शव की बरामदगी का प्रमाण है।

प्रकटीकरण बयान, जहाँ वह कथित रूप से मृतक और उसके दो बच्चों के साथ दूसरे अपीलार्थी के साथ रह रही थी। मिट्टी और पत्थरों से ढके लकड़ी के तख्तों के नीचे छुपाए गए शव की बरामदगी ममता मोहंता के खिलाफ अपनी दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए बहुत मजबूत आपत्तिजनक परिस्थिति है। इस तरह की आपत्तिजनक परिस्थितियों के अलावा, डोमा लेपचा (पीडब्लू-2) का एक बयान है जिसके सामने उसने कबूल किया है। फुरबा लेप्चा (पीडब्लू-4) डोमा लेप्चा (पीडब्लू-2) के पति हैं जो इस गवाही का समर्थन करते हैं।

23. यह तर्क कि कृष्ण कांत बर्मन जिन्होंने अनुवाद किया था

जब उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, तब नेपाली में बंगाली संस्करण की जांच नहीं की गई थी, जो पूरी तरह से महत्वहीन है। ऐसी प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल मृत्यु की जानकारी के संबंध में थी। जाँच अधिकारी ने [2019] 9 एस. सी. आर. की जाँच की है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में सूचना देने वाले द्वारा दिया गया संस्करण। इसलिए कृष्णकांत बर्मन की जाँच न होने से अभियोजन पक्ष के मामले में कोई संदेह पैदा नहीं होता है।

24. इस तर्क के संबंध में कि कोई डीएनए परीक्षण नहीं किया गया था

मृत शरीर की पहचान करना मान्य नहीं है। मृतक की पत्नी के बयान पर शव बरामद किया गया, जिसने खुलासा बयान में कहा है कि उसके पति का शव एक कमरे में लकड़ी के तख्तों के नीचे छिपा हुआ है जो उसके कब्जे में था। उक्त बयान के अलावा, रवि देब (पीडब्लू-3) ने मृतक के पहने हुए कपड़ों जैसे स्वेटर और माला से शव की पहचान की। किसी भी गवाह से इस आशय की जिरह नहीं की गई है कि शव मृतक का नहीं था। अतः जो तर्क दिया गया है वह मान्य नहीं है।

25. नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने मृतक की मृत्यु के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के रूप में अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को सही दर्ज किया है।

नेताई मोहंता। नतीजतन, हम न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं जिसके तहत किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, दोनों अपीलें खारिज कर दी जाती हैं।

देविका गुजराल

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।